प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 16.03.2026

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 352 अदद सीलबंद गत्ता फिलिप्स LED बल्ब (कीमत लगभग 45,64,914/-रूपया) बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट व एसओजी/स्वॉट टीम जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में उ0नि0 अशोक कुमार यादव द्वारा मय टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त गुलशन शाह कानू पुत्र नंदी शाह कानू निवासी मैनाटाड़ थाना मैनाटाड़ जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के कब्जे से चोरी के फिलिप्स एलईडी बल्ब (SM296C LED 87, DN296B LED 64, BULKHEAD 69, DN295B LED 64, SP780X LED 19, BY710P LED 29, WALL LAMP 20) की अलग अलग साइज व प्रकार के कुल 352 सीलबंद गत्ता (माल का मुल्य लगभग 45,64,914/-रूपया) बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),318(4)बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उनका काम मारूती इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट त्रिपाठी काम्पलेक्स, ठूठीबारी चौराहा जनपद-महराजगंज के माध्यम से किया जाता है। प्रार्थिनी के ट्रान्सपोर्ट के कार्य के लिए फरीदाबाद-पलवल (हरियाणा) से वाया सोनौली होकर काठमाण्डू जाने के लिये एक ट्रक की जरूरत थी, वादिनी मुकदमा ने इस काम के लिये गुलशन साह कानू पुत्र नंदू साह कानू, मैनाटांड, पश्चिमी चम्पारण बिहार (ट्रक संख्या NL 01Q 2125 जिसके मालिक एवं ड्राइवर) को तय किया। गुलशन द्वारा दिनांक 13/02/2026 को एलईडी बल्ब का 374 गत्ता वजन 3.18 टन लगभग (माल का मुल्य लगभग 45,64,914/-रूपया) लोड किया गया एवं भाड़ा के रूप में दो किश्तो मों 15,000 रू0 व 65,000 रू0 (कुल 80,000) रूपये प्राप्त किया गया तथा वहां से निकलने की सूचना दी गयी। दिनांक 14/02/2026 को रात्रि करीब 07:30 बजे ड्राइवर गुलशन द्वारा वादिनी के पति गोपाल त्रिपाठी को फोन कर बताया गया कि गाड़ी में कुछ खराबी आने के कारण गाड़ी माल सहित गीडा जनपद गोरखपुर में खड़ी है तथा गाड़ी का मरम्मत चल रहा है एवं वादिनी के पति को रू0 20,000/- रूपया और ले कर आने के लिए बताया गया। वादिनी के पति जब रूपया लेकर गीडा जनपद गोरखपुर पहुँचे तो गुलशन वहां नही मिला, आस पास काफी खोजबीन करने के बाद भी गाड़ी व गाड़ी के ड्राइवर का पता नहीं चल सका। उसका मोबाइल भी बन्द बताने लगा। गुलशन के साथ पूर्व में रहे ड्राइवर जय प्रकाश सिंह जिसके माध्यम से उक्त भाड़ा तय किया गया था से गाड़ी और माल के विषय में पूछने पर उसके द्वारा भी लगातार भ्रमित किया जा रहा था । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। जाँचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि ट्रक के मालिक/ड्राइवर द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर वादिनी के द्वारा भेजे जा रहे सामान को चोरी कर लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलशन शाह कानू पुत्र नंदी शाह कानू निवासी मैनाटाड़ थाना मैनाटाड़ जिला पश्चिमी चंपारण विहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 78/2026 धारा 303(2) बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा 317(2),318(4) बीएनएस थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

352 अदद सीलबंद गत्ता फिलिप्स एल.ई.डी (माल का मुल्य लगभग 45,64,914/- (पैतालीस लाख चौसठ हजार नौ सो चौदह रूपया))

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अशोक कुमार यादव कार्यवाहक चौकी प्रभारी बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राज मंगल सिंह प्रभारी एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अजय कुमार यादव एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 आशीष कुमार दुबे चौकी प्रभारी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. उ0नि0 राजेश कुमार यादव चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. उ0नि0 छोटेलाल राय, सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
7. हे0कां0 राम इकबाल राव, एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
8. हे0कां0 अरूण खरवार एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
9. हे0कां0 दुर्गेश मिश्रा एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
10. हे0कां0 करुणापति तिवारी, एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
11. हे0कां0 विजय द्विवेदी, एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
12. कां0 अरुण राय एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
13. कां0 प्रिंस राय एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
14. कां0 राजेंद्र कुमार , एसओजी/ स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
15. कां0 अशोक चौधरी, सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
16. कां0 बुद्धिसागर, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर